Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में राजस्व पटवारी एवं उसका दलाल 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *28 फरवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये डालसिंह पटवारी, हल्का बारू, अतिरिक्त चार्ज हल्का राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर को उसके दलाल कुन्दन राम (प्राईवेट व्यक्ति) के साथ परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि राजस्व रिकार्ड में पुश्तैनी जमीन का नाम शुद्धीकरण की एवज में डालसिंह पटवारी, हल्का बारू, अतिरिक्त चार्ज हल्का राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर द्वारा उसके दलाल कुन्दन राम (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 5 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये डालसिंह पुत्र श्री ताराचंद निवासी ग्राम इन्द्रपुरा, पोस्ट बीजावास, तहसील हमीरवास, जिला चुरू हाल पटवारी, हल्का बारू, अतिरिक्त चार्ज हल्का राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में दलाल आरोपी कुन्दन राम पुत्र श्री मनसुख राम निवासी मेघवालों का बास, बाप, जिला जोधपुर को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।